

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

राधेश्याम साह, भा.प्र.से.
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

संबंधित सिविल सर्जन, (सूची संलग्न)।

पटना, दिनांक 29-3-19

विषय : स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत मांग संख्या 20 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-06-लोक स्वास्थ्य-003 प्रशिक्षण-0002 जन स्वास्थ्य संस्थापन विपत्र कोड-20-2210060030002 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-2019 में वेतन भत्ते तथा अन्य मदों में कुल ₹ 5,06,000/- (पाँच लाख छः हजार रुपये) मात्र का अतिरिक्त आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित शीर्ष/उपशीर्ष/विपत्र कोड अन्तर्गत विभागीय आवंटनादेश संख्या-13(7)ब दिनांक-12.06.18, 39(7)ब दिनांक-01.10.18, 73(7)ब दिनांक-28.12.18 एवं 110(7)ब दिनांक-08.03.19 के क्रम में वित्तीय वर्ष 2018-2019 में वेतन भत्ते तथा अन्य मदों में कुल ₹ 5,06,000/- (पाँच लाख छः हजार रुपये) रुपये मात्र का अतिरिक्त आवंटन दी जाती है (विवरणी संलग्न)।

2. सम्बंधित आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र सं० 2561 वि० (2) दिनांक 17.4.98, परिपत्र 326वि० दिनांक-2.04.2014 तथा 295वि० दिनांक-04.03.15 में निहित निदेश के अनुसार व्यय सुनिश्चित किया जाय।

3. आवंटित राशि की निकासी मांग संख्या 20 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-06-लोक स्वास्थ्य-003 प्रशिक्षण-0002 जन स्वास्थ्य संस्थापन विपत्र कोड 20-2210060030002 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-2019 में आयोजना भिन्न में उपबंधित राशि से की जायेगी।

4. इसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी निदेशक, लोक स्वास्थ्य संस्थान, पटना/क्षेत्रीय अपर निदेशक, पटना/ अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी होंगे तथा नियंत्री पदाधिकारी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे।

5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वीकृत बल के विरुद्ध नियमानुकूल नियुक्त पदाधिकारियों/कर्मचारियों का ही वेतन भुगतान सुनिश्चित करेंगे तथा इस आशय का प्रमाण पत्र वेतन विपत्र पर भी अंकित करेंगे।

6. सिविल सर्जन अपने स्तर से अधीनस्थ संस्थानों को कार्यरत बल के आधार पर वेतन /भत्ता भुगतान तथा अन्य मद के लिए नियमित व्यय हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को उप आवंटन एक मुश्त में करेंगे। उप आवंटन की एक प्रति विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे।

7. सिविल सर्जन एक इकाई से दूसरी इकाई में या एक उपशीर्ष से दूसरे उपशीर्ष में अपने स्तर से राशि का विचलन नहीं करेंगे। इसमें किसी भी तरह की शिथिलता वांछनीय नहीं होगी। इसकी पूरी जबाबदेही संबंधित सिविल सर्जन की होगी।

8. इस आवंटन से वेतन भुगतान के क्रम में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सम्बंधित स्थापना के कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों का वेतन भुगतान सुनिश्चित करने के पश्चात् ही स्वयं अपने वेतन की निकासी करेंगे।

9. कई पदाधिकारियों/कर्मचारियों के बकाये वेतन का भुगतान नहीं हुआ है जिसके कारण माननीय उच्च न्यायालय के सामने भी कई मामले दायर किये गये हैं। माननीय उच्च न्यायालय ने ऐसे मामलों में यह आदेश पारित किया है कि विभाग देय बकाये वेतनादि का भुगतान शीघ्र करे। अतः यह आदेश दिया जाता है कि जिन पदाधिकारियों/कर्मचारियों का बकाया वेतन है वे शपथ पत्र के साथ अपना आवेदन सम्बंधित सिविल सर्जन/क्षेत्रीय अपर निदेशक/निदेशक प्रमुख को देंगे। सिविल सर्जन/क्षेत्रीय अपर निदेशक/ निदेशक प्रमुख निम्नांकित बिन्दुओं पर आवेदन की जाँच कर बकाये वेतनादि का भुगतान करेंगे।


②

1. संबंधित पदाधिकारी/कर्मचारी विधिवत वहां पदस्थापित हैं ।
2. विधिवत पदस्थापित होने का सत्यापन कर केवल उसी अवधि का वेतन का भुगतान किया जायेगा जिस अवधि में ये पदाधिकारी वास्तव में कार्य किये हों ।
3. जहाँ तक कर्मचारियों के बकाये वेतनादि के भुगतान का प्रश्न है सिविल सर्जन इस बात का सत्यापन कर लेंगे कि उक्त अवधि का भुगतान पूर्व में नहीं हुआ है ।

सिविल सर्जन / क्षेत्रीय अपर निदेशक/निदेशक प्रमुख उपरोक्त शर्तों से संतुष्ट होने पर इस आवंटनादेश से बकाये वेतनादि का भुगतान करेंगे । यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि पुनरीक्षित वेतनमान के अन्तर राशि भी सिविल सर्जन सब तरह से संतुष्ट होकर कि, कितनी राशि देय है, का भुगतान इस आवंटन से कर सकते हैं ।

10. यह मात्र आवंटन आदेश है। इसे व्यय की स्वीकृति न समझा जाय। व्यय हेतु निर्धारित वित्त विभाग/स्वास्थ्य विभाग की प्रक्रिया का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।
11. क्रय संबंधी कार्य स्वास्थ्य विभागीय पत्रांक— 96(9) दिनांक—18.02.99, 142(9) दिनांक—15.3.2001, 241(9) दिनांक—21.5.2002 एवं 379(9) दिनांक—16.8.2002 तथा 73(9) दिनांक 28.01.2006 के आलोक में सभी सरकारी औपचारिकताओं को पूरा करते हुए किया जाएगा ।
12. संबंधित सिविल सर्जन अपने अधिनस्थ निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी से विहित प्रपत्र में व्यय विवरणी टी0भी0 नं0 एवं तिथि के साथ प्राप्त कर समेकित कर तथा सम्बंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्रत्येक माह की 10वीं तारीख तक विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे ।
13. इसकी प्रति महालेखाकार बिहार, पटना को भी दी जा रही है ।

विश्वासभाजन,



(राधेश्याम साह)

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक : 129(7)A

पटना, दिनांक : 29-3-19

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/वित्त विभाग बजट शाखा/सम्बंधित प्रमंडलीय आयुक्त/सम्बंधित जिला पदाधिकारी/सम्बंधित कोषागार पदाधिकारी/सम्बंधित उपकोषागार पदाधिकारी/सम्बंधित क्षेत्रीय उप निदेशक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/ प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/ निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ/प्रशाखा पदाधिकारी-7/आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना एवं कार्यवाह सहायक को पॉच अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ प्रेषित ।



सरकार के विशेष सचिव



- 3 -
विवरणी-I

वित्तीय वर्ष 2018-19 में जन स्वास्थ्य संस्थापन विपत्र कोड संख्या-20-2210060030002

क्रम	जिला का नाम	वेतन (01-01)	जीवन यापन भत्ता (01-03)	मकान भत्ता (01-04)	चिकित्सा भत्ता (01-06)	अन्य भत्ता (01-07)	योग वेतन	वर्दी/ पोषाक (13-06)	कुल	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	सिविल सर्जन, पटना	0	0	0	0	0	0	6000	6000	2708/26.3.19
2	सिविल सर्जन, जहानाबाद	360000	39600	72000	18000	10400	500000	0	500000	598/16.3.19
	कुल योग:-	360000	39600	72000	18000	10400	500000	6000	506000	

(पाँच लाख छः हजार) रू० मात्र

सरकार के विशेष सचिव

उपबंध की स्थिति

क्रम	प्राथमिक इकाईयां	कुल उपबंधित राशि	पूर्व में आवंटित राशि	वर्तमान में आवंटित राशि	कुल आवंटित राशि	अवशेष राशि
1	वेतन (0002-01-01)	108000000	97323000	360000	97683000	10317000
2	जीवन यापन भत्ता (0002-01-03)	12000000	10301130	39600	10340730	1659270
3	मकान किराया भत्ता (0002-01-04)	22920000	21367500	72000	21439500	1480500
4	परिवहन भत्ता (0002-01-05)	2165000	1299000	0	1299000	866000
5	चिकित्सा भत्ता (0002-01-06)	5412000	4443650	18000	4461650	950350
6	अन्य भत्ता (0002-01-07)	7160000	5382392	10400	5392792	1767208
	योग 20-2210.06.003.0002.01 वेतन	157657000	140116672	500000	140616672	17040328
7	चिकित्सा प्रतिपूर्ति (0002-06-01)	1000000	179324	0	179324	820676
8	यात्रा व्यय (0002-11-01)	280000	120000	0	120000	160000
9	कार्यालय व्यय (0002-13-01)	500000	387000	0	387000	113000
10	वाहन का इंधन एवं रख रखाव (0002-13-02)	580000	200000	0	200000	380000
11	दूरभाष (0002-13-03)	12000	12000	0	12000	0
12	विद्युत प्रभार (0002-13-04)	1000000	1000000	0	1000000	0
13	विधि प्रभार (0002-13-05)	1000000	220000	0	220000	780000
14	वर्दी/ पोषाक (0002-13-06)	100000	94000	6000	100000	0
15	किराया महसूल एवं कर (0002-14-01)	108000	108000	0	108000	0
16	प्रशिक्षण व्यय (0002-20-03)	2500000	0	0	0	2500000
17	सामग्री एवं पूर्तियाँ (0002-21-01)	500000	300000	0	300000	200000
18	दवा भंडार (0002-21-02)	600000	0	0	0	600000
19	छात्रवृत्ति/वजीफा (0002-34-01)	26000	13000	0	13000	13000
20	मशीने एवं उपस्कर (0002-52-01)	500000	270000	0	270000	230000
	कुल योग:-	166363000	143019996	506000	143525996	22837004

129(7)0
29-3-19

सरकार के विशेष सचिव